

## FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्या 330/2021

उनवान सरकार बनाम

सुरेश कुमार पुत्र लौरवाराय व अन्य

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

02.11.21

पत्रावली पेश हुई। वादी तहसीलदार उपस्थित। प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई। वादी को बार बार हिदायत दी गई। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित किया कि खातेदारों के द्वारा उक्त भूमि को कृषि के रूप में काम में न लेकर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मौके पर किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से गैर कृषिक उपयोग में लिये जाने पर वाद अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया है। प्रकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार को सुना गया। राज पैरोकार को बार बार हिदायत दिये जाने के बावजूद सम्मन तलबाना पेश नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ध्यान में आया कि खातेदारों द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने पर तहसीलदार द्वारा धारा 177 आर.टी. एक्ट में वाद पत्र पेश किया गया है। फर्द मौका रिपोर्ट में अंकित है कि खातेदारान द्वारा कृषि भूमि को बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति/बिना संपरिवर्तन के अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। जबकि तहसीलदार स्वयं भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 ए में बिना संपरिवर्तन करवाये कोई काश्तकार कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेता है, तो कार्यवाही करने में सक्षम है। प्रकरण संपरिवर्तन योग्य है। इसलिए प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए के तहत कार्यवाही योग्य है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए की कार्यवाही किये जाने में तहसीलदार का क्षेत्राधिकार है। अतः वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 ए एवं सपठित धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 02.11.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

2

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़